The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 10 | October 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

स्वतंत्रता पश्चात् अनुसूचित जनजातियों की स्थिति तथा उनकी उन्नति हेतु प्रावधानः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

कविता रावत
शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग
लखनऊ विश्विद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारत
kavitarawat2303@gmail.com

डॉ०नितिन बाजपेयी
सहायक प्रोफेसर, बी०एड विभाग
महाराणा प्रताप राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई उत्तर प्रदेश, भारत
drnitin.bajpaihri@gmail.com

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords: *अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, सरकारी योजनाएं।*

DOI:
10.5281/zenodo.14077037

ABSTRACT

जनजाति समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह मानव समाज के प्राचीनतम स्वरूप का प्रतीक है। ये अपनी अलग–अलग संस्कृतियों, भाषाओं, रीति–रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं के लिए जानी जाती है ये प्राचीन काल से ही जंगलों व पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी तथा उनकी जीवनशैली मुख्य धारा से अलग और स्वतन्त्र थी। ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातीय समुदायों का शोषण बढ़ा और उन्हें कई अधिकारों से वंचित किया गया। अंग्रेजो ने उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर औद्योगिकीकरण, वाणिज्य और कृषि के लिए उनकी जमीनों का उपयोग कर उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। इसके फलस्वरूप कई जनजातियों का पारम्परिक जीवन संकट में आ गया । स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और विकास के लिए विशेष प्रयास किये। भारत के संविधान द्वारा अनुसूचित जनजातियों को एक विशेष दर्जा दिया गया और उनके संरक्षण और विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गयी। प्रस्तुत शोध आलेख में स्वतन्त्रता पश्चात् अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक एवं संवैधानिक प्रावधान का विश्लेषण कर पाया गया कि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य स्थितियों में

सुधार करने के लिए विभिन्न शैक्षिक एवं सांवैधानिक प्रयास किये जा रहे है, इसका प्रभाव इनके जीवन स्तर को सुधारने में पड़ा है और स्वतन्त्रता के बाद से अब तक इनके जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ लेकिन यह अभी पर्याप्त नही है। इनको विलुप्त होने से बचाते हुये तथा आधुनिक जीवन से जोड़ते हुये उनकी विशिष्ट शैली, संस्कृति, भाषा और पारम्परिक रीति–रिवाजों को जीवंत रखते हुये भारत के विकास से इन्हें जोड़ना है।

प्रस्तावना–

अनुसूचित जनजातियॉ भारत में उन जनजातियों को कहा जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। इन्हें विशेष अधिकार और संरक्षण प्रदान किया जाता है ताकि इनके सामाजिक, आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ये जनजातियॉ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई मानी जाती है। अनुसूचित जनजातियॉ आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहती है और उनकी जीवनशैली रीति–रिवाज, भाषा और परम्पराएं अद्वितीय होती है। अनुसूचित जनजातियों की स्थिति भारतीय समाज में हमेशा से पिछड़ी रही है ये जनजातियॉ मुख्य रूप से समाज के हाशिए पर रही है और प्राचीन समय से ही आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं का सामना करती रही है। अनुसूचित जनजातियॉ ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है यद्यपि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से इनके लिए आजीविका के साधनों की व्यवस्था की जा रही है फिर भी कई स्थानों पर इन योजनाओं का लाभ इन तक पूरी तरह नही पहुॅच पा रहा है। इनकी परम्पराएं और जीवनशैली मुख्यधारा के समाज से भिन्न होती है जिसके कारण उन्हें कई बार सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, साफ पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता भी एक बड़ी समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियॉ अभी भी अन्य समुदायों की तुलना में पीछे है। कई क्षेत्रों में स्कूलों की कमी, शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव और आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षा में अपव्यय की समस्या बहुतायत से देखने को मिलती है। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं, स्कूलों में आरक्षण और विशेष शिक्षा कार्यक्रमों से इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी कई अनुसूचित जनजातियॉ विकास की मुख्यधारा से काफी दूर है इनमें से कई समुदायों को अपनेसांस्कृतिक अस्तित्व और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन जनजातियों की मुख्य चुनौतियों में भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और जबरन विस्थापन शामिल है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण की दर अधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NF HS-5) के अनुसार– अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में कुपोषण, अल्प वजन और स्टंटिंग के मामलों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी अनुसूचित जनजातियों के बीच अपेक्षाकृत अधिक है।

अनुसूचित जनजातियॉ भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है इनकी विशिष्ट परम्पराएं, रीति–रिवाज, कला, संगीत, नृत्य और भाषा भारतीय संस्कृति को समृद्ध करती है । इनकी सांस्कृतिक विरासत से हमें विविधता और एकता का संदेश मिलता है जो भारत के अनेकता में एकता के सिद्धांत को सशक्त बनाता है। अनुसूचित जनजातियॉ विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों जैसे– जंगलों, जल स्त्रोतों और जैव–विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वे प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते है और स्थायी जीवनशैली अपनाते है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इन्हें जंगलों पर अधिकार प्राप्त है जिससे जंगलों का संरक्षण होता है, ये जनजातियॉ जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हुये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख आजीविका का साधन कृषि है। ये सदियों से पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्वतियॉ अपना रहे है जो आधुनिक समय में स्थायी कृषि के लिए एक उदाहरण है। इनके पास औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों का गहरा ज्ञान है जो आधुनिक दवाओं और औषधि निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अनुसूचित जनजातियॉ विभिन्न प्रकार की लद्यु वन उपज जैसे महुआ, तेंदु के पत्ते, शहद और अन्य जड़ी–बूटियां इकट्ठा करती है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । इन जनजातियों के हस्तशिल्प जैसे कि बांस और लकड़ी का काम, कपड़ो की बुनाई और मिट्टी के बर्तन भी भारतीय हस्तकला उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखते है। अनुसूचित जनजातियॉ दूरस्थ क्षेत्रों में रहती है और वे उन सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने में योगदान देती है, विशेषकर उत्तर–पूर्वी राज्यों और मध्य भारत मे। इनकी संस्कृति और जीवनशैली से अन्य भारतीयों को सहिष्णुता, सामुदायिक सहयोग और सरलता की प्रेरणा मिलती है। अनुसूचित जनजातियों ने अनेकों बार पर्यावरण संरक्षण या भूमि संरक्षण के लिए आन्दोलनों का नेतृत्व भी किया है जैसे– नर्मदा बचाओं आंदोलन (1985), जंगल सुरक्षा आंदोलन, बिरसा मुण्डा आंदोलन (1899–1900), सथांल विद्रोह (1855–56), गोंड विद्रोह (1812–1813), झारखंड आंदोलन (1914–2000), भील विद्रोह (1818–1831), डोगरियां कोंध आंदोलन (2003–2013), खोंड विद्रोह (1817–1866) आदि। इन आंदोलनो ने न केवल अनुसूचित जनजातियों के अधिकारो की रक्षा की बल्कि देश भर में सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय के संघर्षों को भी प्रेरित किया ये आंदोलन सामाजिक और राजनीति इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते है।

अध्ययन का महत्व एंव आवश्यकता –

भारत में कई जनजातियां है जो सामाजिक, आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भागों में फैली हुई है। वह पूरे देश में हिमालय की तलहटी से लेकर लक्षद्वीप की भूमि तक और गुजरात के मैदानी इलाकों से लेकर उत्तर पूर्व की पहाड़ियों तक रहते हैं । 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्यात्मक ताकत 52.03 मिलियन थी। जनजातीय आबादी के मामले में बिहार अन्य सभी राज्यों में आगे हैं। बिहार के बाद महाराष्ट्र तथा उड़ीसा का स्थान है।

भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में गोंड, संथाल, भील, मीना, उराव, बोडों और मुंडा है। 2001 की जनगणना के अनुसार सभी भारतीय जनजातियों में 84 मिलियन लोग जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8. 2 % है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 104 मिलियन आदिवासी लोग यह देश की कुल जनसंख्या का 8.6 % है। एक जाति जिसे टोटो नाम से जाना जाता है यह जनजाति दुनिया की सबसे छोटी स्वदेशी जातीय समूह में से एक है जो भूटान की सीमा पर टोटोपारा गांव में रहते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में 573 एसटी रहते हैं। अधिकांश आदिवासी समुदायों की अपनी भाषाएं, उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा से भिन्न होती है जहां पर वे स्थित है। ऐसे 270 से अधिक भाषाएं है। भारत में जनजातीय भाषाएं सभी प्रमुख
भाषा परिवारों से संबंधित है जिनमें ऑस्ट्रिक, द्रविड़, तिब्बती, चीनी और इंडो यूरोपियन परिवार प्रमुख है। भारतीय संविधान में जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए जनजातियों की एक सूची अपनाई गई। सूची को समय–समय पर संशोधित भी किया गया है। 1971 में इसमें 527 जनजातियों के नाम थे। वर्तमान समय में अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम तथा योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन इन योजनाओं से अनुसूचित जनजातियों को कितना लाभ प्राप्त हुआ है तथा कितने लोग इन योजनाओं तथा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है इसे जानने की आवश्यकता है। इसलिए इस विषय पर अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

समस्या कथन– स्वतंत्रता पश्चात् अनुसूचित जनजातियों की स्थिति तथा उनकी उन्नति हेतु प्रावधान : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्य –

- स्वतंत्रता पश्चात् अनुसूचित जनजातियों की स्थिति का अध्ययन करना।
- स्वतंत्रता पश्चात् अनुसूचित जनजाति की उन्नति हेतु किए गए शैक्षिक प्रावधानों का अध्ययन करना।
- स्वतंत्रता पश्चात् अनुसूचित जनजाति की उन्नति हेतु किए गए संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि– इस अध्ययन में गुणात्मक शोध उपागम के अन्तर्गत विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है तथा यह अध्ययन द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है जिसके अन्तर्गत विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी रिर्पाटों और वेबसाइटों का उपयोग किया गया है।

अनूसूचित जनजातियों कि स्थिति –

जनजाति मानव समाज के ऐसे अंग हैं जो कि मानव संस्कृति की प्रायः आदिम अवस्था में रहते हैं। ये एक निश्चित भू–भाग में निवास करते हैं, एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते हैं, आदिम धर्म, प्रथा और परंपरा को मानते हैं तथा एक आदिम अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत निवास करते हैं। अनुसूचित जनजातियॉ 705 अलग–अलग जनजाजियों मे विभाजित है। आजादी के समय 1951 में भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 1.91 करोड़ थी जो उस समय की कुल जनसंख्या का लगभग 6% थी जबकि 2011 की जनगणना के

अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 10.45 करोंड़ है जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। ये आकड़े बताते है कि वर्तमान में इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुयी है। **(1951 और 2011 की जनगणना, भारत सरकार)।** आजादी के समय अनुसूचित जनजातियों के पास स्वास्थ्य सेवाओं की पहुॅच बेहद सीमित थी। स्वास्थ्य सेवाएं दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध नही थी और इनमें शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक थी। वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है लेकिन फिर भी अनुसूचित जनजातियों में भी शिशु मृत्यु दर 44 प्रति 1,000 जीवित जन्म (राष्ट्रीय औसत दर 32 से अधिक) और कुपोषण की दर भी अपेक्षाकृत अधिक है **(राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015–16)।** आजादी के समय 1951 में अनुसूचित जनजातियॉ अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। अधिकांश आदिवासी समुदाय जंगलों और पारंपरिक कृषि पर निर्भर थे और आर्थिक संसाधनों की बहुत कमी थी। 2011–12 में अनुसूचित जनजातियों की गरीबी दर 45.3 प्रतिशत है जबकि गरीबी दर में कुछ सुधार हुआ है यह अभी भी राष्ट्रीय औसत गरीबी दर से अधिक है। **(राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण–68 वॉ दौर 2011–12)।** आजादी के समय 1951 में अनुसूचित जनजातियों की बड़ी आबादी जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी लेकिन उन्हें उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार नही था। कई बार आदिवासियों को उनके जंगलों से विस्थापित कर दिया जाता था जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों को जंगलों में उनके पारम्परिक अधिकर दिये गये। अब तक 1.8 मिलियन हेक्टयर भूमि पर उनके अधिकार स्थापित किये गये है **(वन अधिकार अधिनियम 2006 पर रिपोर्ट, जनजातीय कार्य मंत्रालय)।** आजादी के समय अनुसूचित जनजातियों की लगभग पूरी आबादी ग्रामीण या वन क्षेत्रों में निवास करती थी शहरी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति नगण्य थी जबकि 2011 में शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों की शहरीकरण दर अभी भी 10.03 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत शहरीकरण दर 31.16 प्रतिशत है। **(जनगणना 2011,भारत सरकार) ।**

इस प्रकार ये कह सकते है कि अनुसूचित जनजातियों की शहरीकरण दर तो बढ़ी है परन्तु यह राष्ट्रीय औसत से अभी भी कम है । आजादी के समय अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष राजनीतिक आरक्षण नही था ये समुदाय राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे और उनके प्रतिनिधित्व की कमी थी। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें है और राज्य विधानसभाओं में भी उनके लिए सीटें आरक्षित है जिससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है।**(संविधान अनुसूचित जनजातियों का संशोधन अधिनियम 2020)।** स्वतन्त्रता के समय अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा में कोई विशेष आरक्षण नही था और उनकी शैक्षिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 7.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है जिससे शैक्षिक संस्थानों में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। **(राष्ट्रीय उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2020, शिक्षा मंत्रालय)।** आजादी के समय अनुसूचित जनजाति की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों में आती थी उनके पास रोजगार और शिक्षा के सीमित अवसर थे परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा चलाए गये महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों और स्वरोजगार योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आजीविका के साधन मिले है। महिला श्रम भागीदारी दर अनुसूचित जनजातियों में अब 35 प्रतिशत है। जो राष्ट्रीय औसत से

अधिक है **(पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2019–20, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)।** यही हम कुपोषण और स्वास्थ्य के संदर्भ में भी देखते है कि आजादी के समय अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आम थी। स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी थी और मृत्यु दर अधिक थी। वर्तमान में भी अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण की दर अभी भी अधिक है और 45.3 प्रतिशत बच्चे स्टंटिग (कम ऊँचाई उम्र के अनुसार) से पीड़ित है **(राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015–16)।** वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए अब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियो ने जनजातीय बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी है, जैसे आश्रम स्कूल योजना और जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाएं आदि। उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध है। 2019–20 में जनजातीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश दर में सुधार हुआ है। 2019–20 मे अनुसूचित छात्रों का कुल सकल नामाकंन अनुपात (GER) उच्च शिक्षा में 17.2 प्रतिशत तक पहुँच गया, जबकि आजादी के समय यह नगण्य था। **(AISHE रिपोर्ट, 2019–20)।** स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ हैं। आदिवासी उप–योजना(TSP)और विशेष आदिवासी स्वास्थ्य सेवाएँ इन क्षेत्रों मे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। 2020 में जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार देखा गया है, हालांकि अब भी जनजातीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृ–मृत्यु दर(MMR) उच्च है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मिल रही है। **(राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रिपोर्ट)।**

अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में पिछले कुछ दशको में सुधार हुआ है विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हालांकि अब भी वे गरीबी, कुपोषण, और अशिक्षा जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है सरकारी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से सुधार किए जा रहे है, लेकिन इन्हें और अधिक प्राभावी बनाने की आवश्यकता है।

भारत में रहने वाली कुछ जनजातियां :– भारत में रहने वाली जनजातियों को हम सूची में देख सकते हैं :–

राज्य	जनजातियां
अरुणाचल प्रदेश	अबोर, अक्का, अपटामिस, बर्मास, डफला, गालोंग, गोम्बा, काम्पती, खोभा मिसमी, सिगंपो, सिरडुकपेन।
अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	औंगी आरबा, उत्तरी सेन्टीनली, अंडमानी, निकोबारी, शोपन।
असम व नगालैंड	बोडो, डिमसा गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नगा, अबोर, डाफला, मिशमिस, अपतनिस, सिंधो, अंगामी।
आंध्र प्रदेश	चेन्चू, कोचा, गुड़ावा, जटापा, कोंडा डोरस, कोंडा कपूर, कोंडा रेड्डी, खोंड, सुगेलिस, लम्बाडिस, येलडिस, येरुकुलास, भील, गोंड, कोलम, प्रधान, बाल्मिक।

बिहार	बैंगा, बंजारा, मुण्डा, भुइया, खोंड
छत्तीसगढ़	कोरकू, भील, बैगा, गोंड, अगरिया, भारिया, कोरबा, कोल, उरांव, प्रधान, नगेशिया, हल्वा, भतरा, माडिया, सहरिया, कमार, कंवर।
मध्य प्रदेश	भील, मिहाल, बिरहोर, गडावां, कमार, नट
मणिपुर	कुकी, अंगामी, मिजो, पुरुम, सीमा।
मेघालय	खासी, जयन्तिया, गारो।
गुजरात	कथोड़ी, सिद्दीस, कोलघा, कोटवलिया, पाधर, टोडिया, बदाली, पटेलिया।
झारखंड	संथाल, असुर, बैगा, बन्जारा, बिरहोर, गोंड, हो, खरिया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, पहाडिया, सोरिया पहाडिया, बिझिया, चेरू लोहरा, उरांव, खरवार, कोल, भील।
हिमाचल प्रदेश	गद्दी, गुर्जर, लाहौल, लांबा, पंगवाला, किन्नौरी, बकरायल।
पश्चिम बंगाल	होस, कोरा, मुंडा, उरांव, भूमिज, संथाल, गेरो, लेप्चा, असुर, बैगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड, कोरबा, लोहरा।
तमिलनाडु	टोडा, कडार, इकला, कोटा, अडयान, अरनदान, कुट्टनायक, कोराग, कुरिचियान, मासेर, कुरुम्बा,
कर्नाटक	गौडालू, हक्की, पिक्की, इरुगा, जेनु, कुरुव, मलाईकुड, भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चेन्चू, कोया,
केरल	कडार, इरुला, मुथुवन, कनिक्कर, मलनकुरावन, मलारायन, मलावेतन, मलायन, मन्नान, उल्लातन, यूराली, विशावन, अर्नादन, कहुर्नाकन, कोरागा, कोटा, कुरियियान,कुरुमान, पनियां, पुलायन, मल्लार, कुरुम्बा।
त्रिपुरा	लुशाई, माग, हलम, खशिया, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील, जमनिया, रियांग, उचाई।
जम्मू– कश्मीर	गुर्जर, भरवर वाल।
राजस्थान	मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, सांसी, दमोर, मेव, रावत, मेरात, कोली।
उत्तर प्रदेश	बुक्सा, थारू, माहगीर, शोर्का, खरवार, थारू, राजी, जॉनसारी।

अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए किए गए शैक्षिक प्रावधान :–

अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत में शैक्षिक प्रावधानों का उद्देश्य उनके शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें मुख्यधारा में लाने में सहायता करना है ये प्रावधान केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं और नीतियों के तहत लागू किये गये है जो निम्न है–

- **आरक्षण–** अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जाता है। सामान्य तौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में एसटी छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है।
- **छात्रवृत्ति योजनाएं–** अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित है–
    - प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप –कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए।
    - पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति–10वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता।
    - नेशनल फेलोशिप और स्कॉलरशिप अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अनुसंधान और उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए।**(जनजातीय मामलों का मंत्रालय,भारत सरकार)।**
- **आवसीय विद्यालय–** आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल और आवासीय विद्यालय स्थापित किये गये है, जहॉ उन्हें मुफ्त शिक्षा और आवास प्रदान किया जाता है। **(जनजातीय मामलो का मंत्रालय, भारत सरकार)।**
- **आदिवासी उपयोजना–** यह योजना अनुसूचित जनजातियों के लिए समर्पित है जिसमें उनकी शिक्षा और विकास के लिए विशेष बजट आवंटित होता है।**(योजना आयोग, भारत सरकार)।**
- **आदिवासी शोध संस्थान–** अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान, भाषा और संस्कृति के सरंक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गयी है।
- **कोचिंग और मार्गदर्शन–** प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी और अन्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सहायता देने के लिए विशेष कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
- **आर्थिक सहायता –** अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विदेश मे उच्च शिक्षा के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजनाएॅ उपलब्ध है।
- **मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा–** 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।

इन प्रावधानों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शैक्षिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना है।

- **विशेष छात्रावास सुविधाएँ–** अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्कूलों और कॉलेजों के पास छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। कई राज्यों में यह सुविधा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए भी है।
- **एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS)**–एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किये गये है। ये स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से सबद्ध होते है और छात्रों को विज्ञान, खेल और कला में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **मुफ्त पाठ्यपुस्तकें** –स्कूलों और कॉलेजों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है ताकि उनकी शिक्षा की लागत कम हो और वे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें।
- **जनजातीय शिक्षकों की भर्ती–** आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जनजातीय पृष्ठभूमि से शिक्षकों की भर्ती की जाती है ताकि छात्र अपनी भाषा और संस्कृति के साथ अधिक आरमदायक महसूस करे और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके।
- **वोकेशनल ट्रेनिंग और कौशल विकास –** अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को रोजगार प्राप्त करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और कौशल विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है इसमें आईटी, कम्प्यूटर शिक्षा, हस्तशिल्प और अन्य उद्योगों से जुड़े कौशल प्रशिक्षण शामिल है।
- **जवाहर नवोदय विद्यालय –** अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में विशेष स्थान आरक्षित होते है इन विद्यालयों में इन्हें शिक्षा आवास ओर अन्य सुविधायें मुफ्त में प्रदान की जाती है।
- **मोबाइल स्कूल–** दूर– दराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूलों की व्यवस्था की जाती है जहॉ नियमित स्कूलों तक पहुॅचना कठिन होता है।
- **मुफ्त परिवहन सुविधा–** दूर –दराज के इलाकों मे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्कूल तक पहुॅचने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा दी जाती है । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र शिक्षा से वंचित न रहें।
- **विशेष पाठ्यक्रम–** कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किये गये है जिनमें उनकी स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुये शिक्षा को सुलभ बनाना है।

- **ई–लर्निंग और डिजिटल शिक्षा–** अनुसूचित जनजाति के छात्रों को डिजिटल शिक्षा में जोड़ने के लिए स्मार्टफोन क्लासरूम टैबलेट वितरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे योजनाएं चलाई जाती है। इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा तक पहुचने में मदद मिलती है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम–** इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 6–14 वर्ष की आयु में अनिवार्य ओर मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है इसमें निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित है जिसमें अनुसूचित जनजाति के छात्र भी शामिल है।
- **शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम–** अनुसूचित जनजाति के छात्रों और इनके परिवारों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान और कार्यक्रम चलाये जाते है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां शामिल होती है ताकि लोग शिक्षा का लाभ उठाने के लिये प्रेरित हो।

इस प्रकार विभिन्न शैक्षिक प्रावधानों के प्रयासों के फलस्वरूप अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर जो 1951 की जनगणना के समय 8.53 प्रतिशत तथा 2001 में 47.10 प्रतिशत से 2011 में बढ़कर 58.96 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा में निरन्तर सुधार हुआ है जिसका प्रभाव धीरे–धीरे दिखने लगा है। इन सभी प्रावधानों और योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा के हर स्तर पर समान अवसर प्रदान करना और उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है।

अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के किए गए संवैधानिक प्रावधानः–

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए कई विशेष संवैधानिक प्रावधान किये गये है जिनका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना है यह संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित है–

- **संविधान का अनुच्छेद 15 (4)–** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडें वर्गों के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान मे रखते हुये उनके कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 16(4)–** यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने से सम्बन्धित है इसका उद्देश्य इन वर्गों के समान प्रतिनिधित्व और समान अवसर सुनिश्चित करना है।
- **संविधान का अनुच्छेद 46–** राज्य पर यह दायित्व है कि वह अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा दे और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करे।

- **संविधान का अनुच्छेद 244–** यह अनुच्छेद मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान करता है इसके अर्न्तगत पॉचवी और छठी अनुसूची के प्रावधान शामिल है जो विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और स्वास्थ्य से जुड़े है। पॉचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार दिये गये है राज्यपाल के पास इन क्षेत्रों के लिए विशेष कानून बनाने, जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएँ बनाने का अधिकार है। छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया है। इन परिषदों को इन क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन कानून और व्यवसाय, भूमि प्रबंधन और जनजातीय परम्पराओं को बनाये रखने का अधिकार है।
- **संविधान का अनुच्छेद 275(1)–**यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय अनुदान प्रदान करने का प्रावधान करता है इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह वित्तीय सहायता उन योजनाओं और परियोजनाओं के लिए है जो जनजातीय समुदायों के विकास में सहायक है जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बुनियादी ढॉचा और अन्य कल्याणकारी योजनाएँ।
- **संविधान का अनुच्छेद 330 और 332 –** अनुच्छेद 330 और 332 में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण किया गया है ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- **संविधान का अनुच्छेद 338(A)**– यह अनुच्छेद एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन और उसके कार्यों से सम्बन्धित है इस अनुच्छेद को संविधान के 89 वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया था इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए प्रभावी निगरानी करना है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो इसे संसद के समक्ष रखता है यह रिपोर्ट अनुसूचित जनजातियों के विकास और उनके कल्याण के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का आकलन करती है।
- **संविधान का अनुच्छेद 339 –** राष्ट्रपति समय–समय पर अनुसूचित जनजातियों की स्थिति की समीक्षा करने और उनके कल्याण के लिए राज्यों से रिपोर्ट मांग सकते है।
- **संविधान का अनुच्छेद 19(5) –** यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों को उनकी पारंपरिक भूमि और संपत्ति से बेदखल किये जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सरकार को यह अधिकार देता है कि वह अनुसूचित क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि कब्जाने या बसने पर प्रतिबंध लगा सके जिससे जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

- **संविधान का अनुच्छेद 164(1)–** इस अनुच्छेद का प्रावधान है कि छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में जहॉ अनुसूचित जनजातियों की बड़ी सरकार है। राज्य सरकार में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य है।
- **संविधान का अनुच्छेद 243 M और अनुच्छेद 243 ZC** – अनुसूचित जनजातियो के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में सीटें आरक्षित होती है ताकि वे स्थानीय स्व–शासन में भाग ले सके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत विशेष प्रावधान लागू होते है। जो जनजातीय समुदायों की परम्पराओं और प्रशासनिक स्वायत्तता को बनाये रखने में सहायक होते है।
- **संविधान का अनुच्छेद 371(A)से 371(J)**–इस अनुच्छेद के तहत कुछ राज्यों और क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किये हैं। नागालैंड, मिजोरम और अन्य उत्तर–पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है।

उपरोक्त संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण से सम्बन्धित है इन अनुच्छेदों का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित करना है इनका एक व्यापक दृष्टिकोण है जो सामाजिक,राजनीतिक और आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करता है।

विवेचना – अनुसूचित जनजातियों का भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास के लिये सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। अनुसूचित जनजातियों को ऐतिहासिक रूप से समाज में हाशिए पर रखा गया था इसलिए उन्हें समाज में समानता दिलाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है फिर भी इनको पर्याप्त सुविधायें नही मिल पर रही है, जबकि उनका उत्थान सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। अनुसूचित जनजातियों के लिये संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है इससे इन जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है जिससे वे अपनी समस्याओं और मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा पा रहे है। उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन के लिए स्वायत्तशासी परिषदों की स्थापना की गई है यह जनजातीय लोगों के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की रक्षा करता है परन्तु अभी भी जितने अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता है उतने नही हो पा रहे है। आवश्यकता इनके ओर अधिक विस्तार की है भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जनजातियों को जो अधिकार मिले है उनके कड़ाई से पालन की आवश्यकता है क्योंकि भारत के विकास मॉडल में अनुसूचित जनजातियों का समावेशी विकास महत्वपूर्ण है उनके उत्थान के लिए शिक्षा रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलायी जा रही है जिसको और बढ़ाने वह सुधारने की आवश्यकता है । जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके और वे मुख्य धारा से जुड़ सके। अनुसूचित जनजातियॉ विभिन्न

भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई है इनके भौगोलिक क्षेत्रों के संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि ये जनजातियॉ प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण मानी जाती है इसलिए इनके जीवन के तरीके और प्राकृतिक जीवन का अशुण्य बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि ये भारत की पर्यावरणीय विविधता के संरक्षण में सहायक हो। इन जनजातियों के पास प्रकृति, औषधीय पौधों, पारम्परिक चिकित्सा और पर्यावरण के प्रति गहरा ज्ञान है जिसका उपयोग स्थायी जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उपयोगी हो सकता है ।आज आवश्यकता इन जनजातियों को डिजिटल साक्षरता मिशन से भी जोड़ने की है इसकी शुरूआत 2015 में हुई इसके माध्यम से उन्हें डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर अपने जीवन में सुधार ला सके। 2011 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारम्भ किया गया जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में स्थायी अजीविका के साधन प्रदान करना है इन्हें छोटे उद्योगों, कृषि एवं अन्य व्यवसायों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए 2016 में शुरू कि गई स्किल योजना भी सहायक हो रही है। जिसमें उन्हे विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों मे प्रशिक्षण दिया जा रहा है इससे वह रोजगार के योग्य बन रहे है। 2018 में शुरू की गई प्रधानमंत्री वन धन योजना जिसका उद्देश्य जनजाती समुदायों को उनके पारम्परिक ज्ञान और वन उत्पादों के जरिए आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करना है इसका लाभ इन्हे मिल रहा है अनुसूचित जनजातियों के लि 2016 में स्टैड अप योजना शुरू कि जिसका उद्देश्य एससी एवं एसटी और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है इसके तहत इन्हें बैंक से सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे वे अपने व्यवसाय शुरू कर पा रहे है। अनुसूचित जनजातियों को बुनियादी सुविधाये प्रदान करने के लिए 2009 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी इससे इनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा के विकास के लिए 2010 में राष्ट्रीय जनजाति छात्र शिक्षा योजना भी लाभप्रद साबित हो रही है इसकी सहायता से अनुसूचित जनजाति के छात्र पढ़ पा रहे है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 2018 में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मिशन प्रारम्भ किया गया फलस्वरूप इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। अभी 2020 में अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को पक्के घर प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एसटी हाउसिंग स्कीम प्रारम्भ की गई जिसने इनके आवासीय सुविधाओं को बढ़ावा दिया आवश्यकता इन योजनाओं को चलाये रखना है ताकि हर परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। जैसे–जैसे जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिकीकरण हो रहा है वैसे–वैसे उनकी सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ रही है शहरीकरण और बाहरी संस्कृति के प्रभाव से उनके पारम्परिक रीति–रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक ढॉचे में परिवर्तन हो रहा है। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए एक तरफ जहॉ उन्हें आधुनिक सेवाएं और तकनीकी शिक्षा की जरूरत है वही दूसरी तरफ उनकी सांस्कृतिक धरोहर को भी बचाने के प्रयास आवश्यक है।

निष्कर्ष – अनुसूचित जनजातियॉ भारत की सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वे देश की आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत हिस्सा है और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में रहते है। अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा

की दर धीरे–धीरे बढ़ रही है लेकिन अभी भी अन्य वर्गो की तुलना में कम है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है लेकिन उच्च शिक्षा में प्रवेश की दर अभी भी निम्न है शिक्षा की कमी का एक कारण दूर–दराज के इलाकों में स्कूलों की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता है। इसी प्रकार अधिकांश अनुसूचित जनजातियॉ कृषि पर निर्भर है लेकिन आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी की कमी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी है इसको सुधारने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुॅचना अनुसूचित जनजातियों के लिए एक प्रमुख चूनौती है अनुसूचित जनजातियों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक भाषा और रीति–रिवाज होते है लेकिन शहरीकरण और आधुनिकीकरण के चलते इनकी परम्पराओं और भाषाओं पर संकट मंडरा रहा है कई जनजातियॉ अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोने के कगार पर है अतः उन क्षेत्रों में शहरीकरण को रोकना होगा जहॉ अनुसूचित जनजातियॉ निवास करती है। सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाऍ और कार्यक्रम शुरू किये है जो इनके कल्याण के लिए है परन्तु आवश्यकता अनुसूचित जनजातियों को इनके लिए जागरूक करना तथा उनको इन योजनाओं से जोड़ना है तभी वे वास्तविक रूप से इन कार्यक्रमों या योजनाओं का लाभ ले सकेंगें। केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा जो भी शैक्षिक व संवैधानिक प्रावधान किये गये है उन तक अनुसूचित जनजातियों की पहुॅच हो वे जागरूक हो इसके लिये सरकार समाज एवं स्वयं जनजातीय समुदायों को मिलकर कार्य करना होगा ताकि वे विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सके और अपनी विशिष्टता को भी बनाये रख सके। जनजातियों के लिए आवश्यक है कि वे अपने बीच से नए नेतृत्व का विकास करे जो उनकी समस्याओं को समझते हुये उनका उचित समाधान निकाल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- https://censusindia.gov.in//
- http://rchiips.org/nfhs
- https://nhm.gov.in/
- https://aishi.gov.in/
- http://mospi.nic.in/national-sample-survey-office-nsso.
- https://moef.gov.in/
- https://tribal.nic.in/
- https://scholarships.gov.in/
- चैटर्जी, एस0 के0(2000)एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्सः लुकिंग अहेडः ज्ञान पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली।
- क्लार्क,पी0(2001) टीचिंग एंड लर्निंगः द कल्चर ऑफ पेडागॉजीः सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली

- ठाकुर, यतीन्द्र(2019) समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन,आगरा
- Ghurye, G.S(1963)The scheduled tribes of India, transaction books; London (U.K)
- Sujata,K. (2002) Education among Scheduled tribes, Oxford University press, New Delhi
- Duary, N.K(2010) Education In tribal India, Mittal publication; New Delhi
- Gautam, Neera (2013) Education of Scheduled Tribes in India: scheme and programmes. Journal of Education and Practice,4(4), pp- 7-10
- Upmanyu, M.C (2016)The Tribal Education in India, Status, challenges and Issues. International Journal of Novel Research in Education and leraning,3(6), pp- 96-102
- Daripa, shyamal(2017)Tribal Education in India: Government Initiative and challenges. International Journal of research in social Science,7(10) , pp-156-166
- Ramchandram, R &Deepan,V.(2017) Educational status of Scheduled Tribes in India. International Journal of technical research & science,2(X).pp-632-636
- Vinu(2021)Tribal Education and quality of life issues and challenge. The International Journal of Indian psychology, 9(1),doi:1025215/0901.060https://www.ijip.in .pp-603-610
- NEP-2020 Ministry of education.
- Sadual, manoj&sahoo, Ranjana(2021) A study of Tribal Education in India: challenges and opportunities in covid-19 Pandemic period. International Journal of creative research thoughts,9(8), pp-195-203
- Toppo,Carlus (2022) A study on Tribal students in elementary education of Ranchi District(Rural area's). International Journal of creative research thoughts,10(7).pp-445-451.